तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

———

18-3-2025

उपस्थित :

श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट ब्रीफ होल्डर अभिभाषक श्री प्रशान्त सोनी।

श्री संजय शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

———

निर्णय

1– हस्तगत् दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– उक्त दोनों अपीलों में तथ्यपरक स्थिति, पक्षकारान एवं विवादित बिन्दु एक समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनका निस्तारण आक्षेपित निर्णय के माध्यम से संयुक्त रूप से किये जाने के फलस्वरूप हस्तगत दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

3– हस्तगत अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम मोजपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 131/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 131/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 149 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा के बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 10–6–1981 अपीलान्ट बोदूराम व गोविंदा पुत्र रूड़ा के पक्ष में स्वीकृत किया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी भौरा उर्फ भवरिया ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी आमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की,जिसमें उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–6–1982 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः उभयपक्ष को सुनकर निर्णय हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ को रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश दिनांक 21–6–1982 की पालना में नामान्तकरण पर नोट लगा देने से भूमि पुनः भवरिया के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम दर्ज हो गई। भवरिया की मृत्यु पर उसके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से विरासतन नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 29–11–2002 स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट बोदूराम व गोविन्दा की ओर से रामचन्द्र मीणा द्वारा दिनांक 14–5–2004 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 की पालना में इंतकाल संख्या 136 को दुरस्त करने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 05–7–2004 द्वारा नामान्तकरण संख्या 136 पर वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट बोदूराम व मृतक गोविन्दा के वारिसान के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त निर्णय के क्रम में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर न्यायालय में दो अपीलें प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील में तहसीलदार जमवारामगढ़ के आदेश दिनांक 05–7–2004 तथा द्वितीय अपील में इस आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 136 की पुश्त पर लगाये गये नोट को चुनौती दी गई। दोनों अपीलें अर्न्तसम्बन्धित होने के कारण अपीलीय न्यायालय ने अपने एकल निर्णय दिनांक 21–2–2005 द्वारा दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ़ का निर्णय दिनांक 05–7–2004 निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ उन्हें प्रतिप्रेषित किया गया,जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा हस्तगत दोनों अपीलें मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर (तृतीय) जयपुर में बोदूराम तथा गोविंदा द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता/पति प्रतिवादी भौरिया के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रकरण प्रतिवादी के विरूद्ध तथा बहक वादीगण दिनांक 23–08–1980 को डिक्री किया गया था। प्रतिवादी ने उसी न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री अपास्त करने का आवेदन किया, जिसे भी न्यायालय ने दिनांक 12–04–1988 को खारिज कर दिया। सहायक कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 अंतिम हो चुकी है तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 10–6–1981 भी अंतिम हो चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री को किसी सक्षम न्यायालय ने अपास्त भी नहीं किया है। जहां तक उप जिलाधीश आमेर के निर्णय दिनांक 21–8–1982 का प्रश्न है, प्रथमतः तो यह क्षेत्राधिकारविहीन आदेश है क्योंकि इंतकाल की प्रथम अपील धारा 75 (ए) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर न्यायालय में पोषणीय थी, न कि उप जिलाधीश न्यायालय में। द्वितीयतः उप जिलाधीश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–6–1981 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया है, जबकि तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–6–1981 सहायक कलक्टर न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 की पालना में जारी किया गया है। नियमित दावे में हुये निर्णय एवं डिक्री को इस प्रकार सरसरी कार्यवाही में चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अलोच्य आदेश अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर दिनांक 21–02–2005 भी सर्वथा क्षेत्राधिकारविहीन है क्योंकि तहसीलदार जमवारामगढ़ के नामांतकरण बाबत निर्णय दिनांक 05–07–2004 की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भू अभिलेख अधिकारी कलक्टर, जयपुर न्यायालय को था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर जिन्हें कि निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां प्राप्त हैं, का बिना अधिकारिता प्रदत्त आदेश शून्य प्रभावी है तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा बिना क्षेत्राधिकार आलोच्य निर्णय करने में भयंकर त्रुटि की गई है। 5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में बताया गया कि न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त ने अपने निर्णय का मुख्य आधार यह लिया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि क्या तहसीलदार ने सहायक कलेक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 के आदेश की पालना में कार्यवाही की है अथवा कोई नया आदेश पारित किया है। प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने केवल न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के अनुरूप ही रिकॉर्ड दुरस्त किया है। प्रथमतः तो इस कार्यवाही में किसी को नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं थी। द्वितीयतः तहसीलदार द्वारा भंवरिया को विधिवत रूप से नोटिस दिया है जो उसकी पत्नि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मनभरी को तामील हुआ है, इसके बावजूद भी वह हाजिर नहीं हुई। इस क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि सहायक कलेक्टर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–8–1980 से भौरिया उर्फ भंवरिया के साथ–साथ उसके विधिक उत्तराधिकारी भी इस निर्णय से विधितः बाधित होकर न्यायालय निर्णय उन पर भी लागू था। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने उप जिलाधीश, आमेर के पूर्व रिमाण्ड आदेश की पालना में वस्तुतः नामांतकरण संख्या 60 बाबत ही निर्णय किया गया था, लेकिन क्योंकि इस दौरान भौरिया के वारिसान के पक्ष में नामांतकरण संख्या 136 स्वीकृत हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस स्थिति का उल्लेख कर नामांतकरण संख्या 136 बाबत भी आदेश किया। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने सहायक कलक्टर न्यायालय के यथावत रहे निर्णय व डिक्री के आधार पर दिनांक 05–07–2004 को आदेश पारित किया, जो कि विधिसम्मत एवं न्यायसम्मत था। जहां तक उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा एक अन्य दावे में दिनांक 05–07–2004 को स्थगन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	देने तथा तहसीलदार द्वारा इस आदेश को निष्प्रभावी करने की मंशा से पत्रावली में कांट–छांट कर कार्यवाही करने की आपत्ति का प्रश्न है, उक्त आरोप निराधार है क्योंकि निर्णय दिनांक 05–07–2004 से पूर्व कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। वैसे भी स्थगन की अवहेलना कर निर्णय पारित करने में अधिकतम न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है तथा निर्णय को अवैध व शून्य नहीं माना जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दायर अधीनस्थ अपील में गोविंदा के वारिसान को पक्षकार न बनाए जाने से अपील में महत्वपूर्ण खामी भी थी, क्योंकि सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा गोविंदा के पक्ष में भी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गई थी तथा इसकी पालना में बोदूराम के साथ–साथ गोविंदा के पक्ष में भी नामांतकरण संख्या 60 दर्ज किया गया था। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–2–2005 को निरस्त किया जावे। उनके द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में अपील मीमों में 2002 आरआरडी पेज 409 तथा 1958 आरआरडी पेज 89 न्यायिक दृष्टांत भी उल्लेखित किए गए। 6– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि 22 वर्ष पश्चात अपीलान्ट बोदूराम व गोविन्दा की ओर से रामचन्द्र मीणा द्वारा दिनांक 14–5–2004 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय एवं डिक्री की पालना में नामांतकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण में भौरिया के नाम नोटिस जारी होने पर तामील कुनिन्दा द्वारा उसके फौत होने की रिपोर्ट देने पर भी उसके वारिसान की जॉच किये बिना तथा विधवा पर की गई तामील गलत व विधिविरूद्ध होने पर भी तामील को पर्याप्त मान लिया गया, जो कि अनुचित था। तहसीलदार द्वारा अन्य वारिसान की जॉच भी नहीं की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 कल्याण नाबालिग होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हो सकती थी। यदि उसकी माता संरक्षक द्वारा पैरवी नहीं की गई थी तो न्यायालय को उसका प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने तहसीलदार जमवारामगढ़ के निर्णय दिनांक 05–7–2004 को निरस्त कर अपील रिमांड करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, अतः अपील खारिज की जावे। विवादित भूमि भौरिया ने सन् 1969 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद कर ली थी, इसलिए विक्रेता द्वारा बाद में प्रार्थीगण को किया गया विक्रय प्रभावहीन है। यह भी कि उप जिलाधीश आमेर द्वारा नामांतकरण संख्या 60 पर ही प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था, इसलिए तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा नामांतकरण संख्या 136 पर किया गया आदेश गलत है। तहसीलदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमवारामगढ़ के समक्ष दिनांक 14–05–2004 को अपीलान्ट ने आवेदन नहीं किया था बल्कि किसी रामचंद्र मीणा नामक व्यक्ति ने किया था, उक्त व्यक्ति किस प्रकार अपीलान्ट से संबंधित है, यह अस्पष्ट है। रेस्पोन्डेन्ट्स ने दिनांक 03–07–2004 को उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 05–07–2004 को स्थगन जारी हुआ था। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने स्थगन को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से आदेशिका में कांट–छांट कर दिनांक 05–07–2004 को ही अपना आदेश जारी करना बता दिया जो कि अनुचित है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा इस तथ्यगत स्थिति का सही प्रकार से प्रसंज्ञान लेकर अपना निर्णय दिया गया था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत एवं त्रुटिहीन होकर हस्तगत अपील खारिज योग्य है। 7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अद्योपांत अवलोकन व अध्यनन किया गया। 8– प्रकरण में यह वस्तुस्थिति स्पष्ट तथा प्रमुखता से दृष्टिगत होती है कि विवादित भूमि बाबत बोदूराम व गोविंदा वादीगण द्वारा भौरिया प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा दिनांक 23–8–1980 को डिक्री किया गया था। डिक्री देनदार भौरिया द्वारा उसके विरूद्ध जारी एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा सन् 1988 में खारिज कर दिया गया। हस्तगत अपील मीमों, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथा उभयपक्ष काबिल अधिवक्तागणों की बहस अनुसार सहायक कलक्टर (तृतीय) न्यायालय, जयपुर के उक्त निर्णय को सक्षम उच्चतर न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी गई तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 23–8–1980 वर्तमान में भी यथावत है। 9– सहायक कलक्टर (तृतीय) न्यायालय, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–8–1980 की पालना में दाखिल नामान्तकरण में तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा भौरिया के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बोदूराम व गोविंदा के नाम नामान्तकरण संख्या 60 स्वीकृत किया गया, जो कि न्यायालय निर्णय अनुसार ही था। लेकिन इस नामान्तकरण संख्या 60 के विरूद्ध प्रत्यर्थी भौरिया द्वारा प्रस्तुत अपील में उप जिलाधीश, आमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–1982 में तहसीलदार जमवारामगढ़ के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने के निर्णय के साथ रिमाण्ड कर दिया। इस अपील बाबत हमारा मानना है कि धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानुसार उप जिलाधीश, आमेर को उक्त नामान्तकरण पर तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनवाई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की कोई अधिकारिता नहीं थी। साथ ही तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा सक्षम न्यायालय आदेश के निर्णय अनुसार ही उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर कोई नवीन व पृथक निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार विधिक आधार व प्रक्रियानुसार स्वीकृत नामान्तकरण निर्णय को उप जिलाधीश, आमेर द्वारा निरस्त करना अनुचित होकर यह आदेश विधिसम्मत नहीं था। उप जिलाधीश, आमेर के उपरोक्त त्रुटिपूर्ण व क्षैत्राधिकारविहीन आदेश के कारण डिक्री धारकों के पक्ष में तत्समय रिकार्ड में अमल–दरामद न होकर भूमि भौरिया के स्वत्व में ही दर्ज रही तथा सन् 2002 में उसकी मृत्यु उपरान्त खोले गये नामान्तकरण संख्या 136 से विवादित भूमि उसके वारिसान रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार सक्षम न्यायालय के निर्णय पश्चात भी भूमि बोदूराम व गोविंदा के बजाय डिक्री देनदार व उसके वारिसान के नाम दर्ज हो जाने को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। निर्णय व डिक्री का बिना समुचित तथा विधिक आधार पालना से लम्बित रहना अवांछनीय स्थिति थी, जिसे टाला जाना चाहिए था।

10– भौरिया के वारिसान के नाम नामन्तकरण स्वीकृत होने पश्चात वादीगण पक्ष की ओर से तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्णय व डिक्री की पालना हेतु आवेदन किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 05–7–2004 द्वारा विरासत के आधार पर खुले नामान्तकरण संख्या 136 पर वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट बोदूराम व मृतक गोविन्दा के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेंट्स भौरिया के वारिसान होने के आधार पर निश्चय ही भौरिया के साथ–साथ उसके वारिसान भी निर्णय व डिक्री से पाबंद थे, इसलिए वारिसान की पृथक से विस्तृत सुनवाई व साक्ष्य ली जाना विधितः वांछित नहीं था। हमारी राय में नामांतकरण निर्णय प्रक्रिया में भौरिया की वारिस कायमी, वारिसान का भी विस्तृत पक्ष शामिल करने की अपेक्षा आदि बिंदु इस नामांतकरण को सक्षम न्यायालय के निर्णय अनुसार स्वीकृत करने के मूल आधार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं रखते हैं।

11– जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर क्षैत्राधिकार बाबत आपत्ति का प्रश्न है, हालांकि तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–07–2004 में प्रकरण का धारा 135(1) अथवा 135(2) के तहत निस्तारित करने का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व में तहसीलदार के निर्णय को उप जिलाधीश द्वारा अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर देने तथा इसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा पुनः निर्णय करने की तथ्यगत स्थिति से धारा 135(2) के प्रावधान ही लागू होना प्रतीत होता है। इस वस्तुस्थिति में हमारा मत है कि तहसीलदार जमवारामगढ़ के निर्णय के विरूद्ध निदेशक भू–अभिलेख अर्थात संभागीय आयुक्त, जयपुर न्यायालय में अपील दायर करना विधिसम्मत था तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयपुर द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 21–02–2005 उनके क्षेत्राधिकार अनुसार प्रदत्त निर्णय ही था। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में तहसीलदार का आदेश धारा 135(1) के अंतर्गत होने से हमारा मानना है कि उक्त प्रकरण के तथ्य व निष्कर्ष हस्तगत अपील प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। 12– अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–02–2005 के विश्लेषण उपरांत हमारा मानना है कि इसमें प्रकरण की मुख्य सारभूत विषयवस्तु तथा तहसीलदार द्वारा इसी अनुसार नामांतकरण स्वीकृत करने के स्पष्ट व विधिसम्मत निर्णय की वांछित विवेचना नहीं की गई है। प्रकरण में सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अनुसार पूर्व में भी तहसीलदार द्वारा यह नामांतकरण स्वीकृत किया गया था, जिसे उप जिलाधीश, आमेर द्वारा बिना अधिकारिता तथा बिना उचित आधार अपास्त कर दिया गया। सहायक कलक्टर (तृतीय) न्यायालय, जयपुर का निर्णय व डिक्री किसी उच्चतर सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं की गई थी तथा इसकी पालना में तत्समय नामांतकरण स्वीकृत भी हो चुका था। साथ ही जारी डिक्री भौरिया के वारिसान के विरूद्ध भी विधिवत प्रभावी थी। डिक्री की कई वर्षों तक पालना न होने में उपखण्ड अधिकारी का बिना अधिकारिता अपील में प्रदत्त निर्णय भी एक मुख्य कारण था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णय में इस तथ्य का भी समुचित तथा युक्तियुक्त रूप से विवेचन नहीं किया जाना पाया जाता है। इस विलम्ब फलस्वरूप भौरिया के पक्ष में ही रिकॉर्ड अंकन चलते रहने से बाद में उसके फौत होने पर विरासत का नामांतकरण भी खुल गया जिससे प्रकरण में अवांछित पेचीदगी उत्पन्न हुई। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यपरक वस्तुस्थिति का गहनतापूर्वक विश्लेषण न करते हुये निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का भली–भांति निर्वहन करने में त्रुटि की गई है। 13– जहां तक तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा नामांतकरण पर निर्णय करने में तारीख इत्यादि में बदलाव करने का प्रश्न है, रेस्पोडेंट्स द्वारा ऐसा कोई पुष्ट समर्थित साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे तहसीलदार को निर्णय से पूर्व सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त होना साबित हो अथवा उनके द्वारा दिनांकों में कोई गलत रूप से कांट छांट की जाना सिद्ध हो। उनके द्वारा नामांतकरण स्वीकृति आदेश में कोई नया निर्णय नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ही नामांतकरण स्वीकृति निर्णय दिया गया था, जो कि निश्चय ही कोई विधिविरूद्ध व अनुचित कार्यवाही नहीं थी। 14– उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार हमारा सुविचारित विनिश्चय है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर/1214/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह** **अपील/एल.आर/1215/2005/जयपुर** **बोदूराम बनाम कल्याण वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 21–02–2005 पारित करने में त्रुटि कारित की गई है, अतएव प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–02–2005 अपास्त किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–07–2004 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	